मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28/08/2018

क्र. एफ 16-18/2018/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य एवं निवेशकों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत उद्योग सवंर्धन नीति- 2014 में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधान सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया :-

1. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के निरसित होने के फलस्वरूप उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में बीमार/बंद उद्योगों को अधिग्रहण/क्रय कर पुर्नसंचालित करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का 'विशेष पैकेज 2014' एवं राज्य में स्थित बीमार औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय एवं अन्य रियायतों का -'पालिसी पैकेज 2014' मे प्रावधानित सुविधाओं के अंतर्गत वृहद उद्योगों के संदर्भ में उद्भुत सुविधाओं को विलोपित किया जाकर वृहद श्रेणी की बंद औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाता है।

2. **उद्योग सवंर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2017) की कण्डिका 16-** वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता की कंडिका 16.1 में निम्नानुसार भौगोलिक गणक को सम्मिलित करते हुये नवीन कंडिका 16.1.5 निम्नानुसार स्थापित की जाती है :-

16.1.5 भौगोलिक गणक - प्रदेश में स्थित जिलों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिकता विकास खंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक '1.2' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा। परन्तु उपरोक्त गणक सीमेंट परियोजनाओं के लिए '1' ही मान्य किया जावेगा । सीमेंट परियोजनाओं के लिए निर्यात गणक भी '1' मान्य किया जावेगा।

3. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अंतर्गत अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट-IV के सरल क्रमांक 14 "सीमेंट (क्लिंकर सहित) विनिर्माण" को विलोपित किया जाता है एवं सरल क्रमांक 6 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक 6 - "केंद्र तथा राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को नीति अंतर्गत सुविधायें देने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति द्वारा प्रकरण वार विचार किया जा सकेगा।"

4. **उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017)** में नवीन अनुक्रमांक 19 "निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता" सम्मिलित करते हुए निम्न प्रावधान जोड़ा जावे :-

19.1. निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्तीय सहायता-

ऐसे उद्योग जिनमें कुल रोजगार का न्यूनतम 5% नियोजन दिव्यांगजनों को किया जावेगा उन्हें निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

19.1.1 स्किल डेव्हलपमेन्ट - ऐसे उद्योगो में दिव्यांगजनों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षित कराने पर हुए व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति।

19.1.2 कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं ईएसआई अन्तर्गत् सहायता - दिव्यांगजन कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी अधिकतम रूपये 6 हजार प्रतिमाह अथवा वास्तविक जमा अंश राशि दोनो में से जो कम हो की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु ।

19.1.3 ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी जो आयुष्मान भारत योजना 2018 अन्तर्गत नि:शुल्क बीमा की पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे दिव्यांगजन कर्मचारी का बीमा कराने पर देय प्रीमियम की प्रतिपूर्ति ।

19.1.4 ऐसे उद्योग जिन्होंने भारत सरकार की किसी योजना अन्तर्गत उपरोक्त आशय की सहायता प्राप्त की है तो देय सहायता में से उक्त सहायता घटायी जावेगी।

5. **उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017)** की कंडिका-10 वित्तीय सहायता में नवीन कंडिका क्रमांक 10.1.4 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

"किसी भी स्थिति में इकाई को दी जाने वाली सकल निवेश सहायता, इकाई में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नही होगी अर्थात् समस्त सहायता मदों जिसमें अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सहायता सम्मिलित कर कुल सहायता की अधिकतम सीमा/परिमाण इकाई द्वारा किये गये स्थाई पूंजी निवेश से अधिक नही होगी।"

6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रमांक 10.1 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे:-

"इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन /रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिये लागू है, परन्तु रू. 50 करोड़ (भूमि के मूल्य को छोड़कर) से अधिक की ऐसी पर्यटन परियोजनायें जो नगरपालिका निगम की सीमा के बाहर स्थापित हों उन्हें इस नीति में उल्लेखित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि पर्यटन परियोजनाओं को राज्य शासन की किसी एक नीति अंतर्गत ही लाभ लेने की पात्रता होगी। अर्थात जो परियोजनाऐं उद्योग नीति के अन्तर्गत लाभ लेना चाहती है उन्हें पर्यटन सहित राज्य की किसी अन्य नीति अन्तर्गत लाभ की पात्रता नही होगी । उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सहायता पर्यटन विभाग द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी तथा इस आशय तक यह प्रावधान पर्यटन नीति का अंश माना जावेगा। अन्य सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिये पृथक प्रोत्साहन/रियायतें लागू होंगी जो संबंधित विभागों की प्रचलित नीति के अनुसार होंगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर .....

पृ क्र. एफ 16-18/2018/ए-ग्यारह भोपाल दिनांक 23/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल ।
   - की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. नियंत्रक , मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

परिशिष्ट "अ"

वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज

1. **विशेष पैकेज की प्रभावशीलता:-** इस विशेष पैकेज का लाभ केवल ऐसी परियोजनाओं को देय होगा जो उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) अथवा इसके बाद लागू होने वाली नीतियों से अधिशासित हो।

2. **बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतीकरण की सुविधा का लाभ:-** पूर्व स्वीकृत सहायता के निरंतरीकरण की सुविधा का लाभ इकाई में एक वर्ष से अधिक उत्पादन निरूद्ध होने की स्थिति में ही प्रदान किया जावेगा एवं उत्पादन निरूद्ध रहने की अवधि के समतुल्य अवधि को सुविधा के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पात्रता अवधि के रूप से प्रदान किया जावेगा।

3. **बकाया देयको के भुगतान की सुविधा** - इकाई के बंद होने के दिनांक तक संबंधित विभागों/संस्थाओं के बकाया देयको को अधिग्रहण दिनांक से 3 माह में एक मुश्त जमा कराने पर, ब्याज/शास्ति की माफी अन्यथा बकाया राशि (ब्याज/शास्ति सहित) को 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जावेगी।

4. **नवीन इकाई की भांति सुविधा का लाभ** - प्लांट एवं मशीनरी में नवीन पूंजी निवेश, पूर्व पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत या रू. 50 करोड़ (इनमें से जो भी कम हो) होने पर प्रचलित नीति अंतर्गत नवीन इकाई के समान सुविधा का लाभ दिया जायेगा।

5. **मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा** - प्लांट एवं मशीनरी में रू. 100 करोड़ से अधिक के नवीन पूंजी निवेश किया जाता है तो इकाई को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जावेगा एवं कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति के समक्ष आवेदन की पात्रता होगी।

6. उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अंतर्गत उल्लेखित अपात्र उद्योगों के लिये प्रावधानित इस विशेष पैकेज की सुविधा लागू नहीं होगी।

(मंदा राठौर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग